

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम महुआखुर्द तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 125/2013 राजस्व वाद

उनवान

1. मांगीलाल पिता रामलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. शिवलाल पिता रामलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. लादी पुत्री रामलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. धन्नी बेवा रामलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीगण)

बनाम

1. बदाम पत्नि पन्ना लाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्ण कुमार जीनगरवादीगण अधिवक्ता

दिनांक- 27.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम महुआखुर्द में वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 27.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि – वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम महुआखुर्द पटवार क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. मांगीलाल शिव पिता रामलाल, लादी पुत्री रामलाल 1/2, धन्नी बेवा रामलाल 1/2 जाट सा0देह (वादीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
2026/1	1-05-10	1.91
कुल 1	रकबा 1-05-10 बीघा	1.91

2. बदाम पत्नि पन्नालाल जाट सा0देह (प्रतिवादी)

आ0न0	रकबा/किस्म	लगान
2026	1-05-10	1.91
कुल 1	रकबा 1-05-10 बीघा	1.91

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 27.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम महुआखुर्द में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राज.

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.